(1)

R.M.M Law College
Saharsa
Amrendra Kumar Trivedi
Part Time Law Teacher
Subject Evidence Act
Part-III

अभिज्ञान (शिनाख्त) की जाँच परेड का साक्ष्य बहुत
अधिक ~~सम्पोषी~~ सम्पोषी साक्ष्य की प्रकृति का होता है।
अभिज्ञान का परिसाक्ष्य अवश्य उस व्यक्ति द्वारा
सिलसिला परेड कराया जाता है और न ही उस
अधिकारी द्वारा जो परेड का संचालन कर रहे हैं।
यह कि शिनाख्त कौन लिये गये भी आवश्यक है कि
तेज रौशनी की व्यवस्था हो क्योंकि अधिक
से अधिक व्यक्तियों को पहचाना असंभव सा है।
कारण डकैती जैसे मामलों के अधिक व्यक्तियों
का कि शिनाख्त का पता कठिन करती है।
धारा 395 तथा 396 के अन्तर्गत अभियुक्तों की
शिनाख्त उचित है। साक्षी तथ्य और वस्तुस्थिति
को शुरू से अन्त तक देखा है जाँच परीक्षण के
परेड (अभिज्ञान शिनाख्त) उपस्थित के लिये
आवश्यक है जिस आधार पर न्यायालय फैसला
सुनाता है। शिनाख्ती कार्यवाही का साक्ष्य प्रयोजन
जाँच करने वाले पदाधिकारियों को विश्वास कराना
जान कि अमुक व्यक्ति जिसे गवाह पहले से नहीं
जानते थे कि अमुक अपराध से सम्बन्ध था
या कोई विशेष सम्पत्ति अपराध का विषय थी,
शिनाख्त का उद्देश्य ऐसे साक्ष्य को जुटाना
भी होता है जो न्यायालय के समक्ष साक्षी
द्वारा दिए जाने वाले कथन की सम्पुष्टि करे।
मामलों का निपटारा केवल अभियुक्त की पहचान
पर ही न होना अनिवार्य है कि वह न्याय
परिस्थितियों पर देखना सोचना (न्यायालय) को
परिस्थिति को ऐसी हालात पैदा किया।